न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 68/2019 (2019/00173)

अपीलार्थीपक्ष

श्रीमती जसवन्त कंवर उर्फ जस्सु कंवर पुत्री स्व0 हमीरसिंह पत्नी तेजसिंह, जाति राजपुत, निवासी – ग्राम थबूकडा, तहसील व जिला जोधपुर। हाल निवासी – ग्राम पोस्ट नागडी, तहसील खींवसर, जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. शेरसिंह पुत्र स्व0 मंगलसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह
3. नेपालसिंह पुत्र नाहरसिंह
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह
5. गुड्डु कंवर पुत्री नाहरसिंह
6. रेवतसिंह पुत्र भंवरसिंह
7. मनोहरसिंह पुत्र भंवरसिंह
8. खुशालसिंह पुत्र स्व0 हरीसिंह
9. खीवसिंह पुत्र स्व0 हरीसिंह के कायम मुकाम –

9/1. सुमनकंवर पत्नी खीवसिंह
9/2. पवर्तसिंह पुत्र खीवसिंह
9/3. लालसिंह पुत्र खीवसिंह
9/4. श्रवणसिंह पुत्र खीवसिंह
9/5. सोहनसिंह पुत्र खीवसिंह
9/6. किरण कंवर पुत्री खीवसिंह
9/7. सूरजकंवर पुत्री खीवसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण – थबूकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

10. खम्मा कंवर पुत्री रघुनाथसिंह पत्नी रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी – ग्राम इन्द्रोका, तहसील व जिला जोधपुर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 488 दिनांक 21.12.1988 ग्राम थबुकड़ा, जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री शैतानराम चौधरी (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चौधरी (रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 5 तथा 7 से 9)।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 10 नोटिस तामिल वजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:23 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :— दिनांक :— 28.10.2021

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/19/1337 दिनांक 31.07.2019 की अनुपालना में अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 तथा 7 से 9 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश कुमार चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 10 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस दिनांक 27.10.2021 को सुनी गई। अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 488 दिनांक 21.12.1988 ग्राम थबूकड़ा जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेष की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिनी के पिता श्री हमीरसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम थबूकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर में खसरा नं0 142 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 483/1 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 44 रकबा 86 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 186 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा, कुल खसरे 04 कुल रकबा 183 बीघा 14 बिस्वा भूमि खातेदारी की आई हुई है, जिसमें श्री हमीरसिंह का 1/3 हिस्सा था। हमीरसिंह के देहान्त के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 67 के तहत श्री हमीरसिंह के स्थान पर अपीलार्थिनी की माता श्रीमती समद कंवर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया तथा अपीलार्थिनी जो हमीरसिंह की जायन्दा पुत्री थी, का नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थिनी की माता श्री समद कंवर का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात् आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 488 स्वीकृत किया गया, जिसमें अपीलार्थिनी का नाम दर्ज नहीं कर श्रीमती समद कंवर के अन्य द्वितीय वारिसान् का नाम दर्ज कर दिया, जो कि पूर्व से ही राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदारान् के रूप में इन्द्राज थे, जबकि अपीलार्थिनी श्रीमती समदकंवर की इकलौती प्रथम श्रेणी की वारिस होने तथा जायन्दा पुत्री होने के बावजूद भी अपीलार्थिनी का नाम दर्ज नहीं किया गयातथा स्व0 श्रीमती समद कंवर के वारिसान् की कोई जांच भी नहीं की गई तथा अपीलार्थिनी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत् कोई सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया, इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलार्थिनी के पिता श्री हमीरसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम थबूकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर में खसरा नं0 142 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 483/1 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 44 रकबा 86 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 186 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा, कुल खसरे 04 कुल रकबा 183 बीघा 14 बिस्वा भूमि खातेदारी की आई हुई है, जिसमें श्री हमीरसिंह का 1/3 हिस्सा था। हमीरसिंह के देहान्त के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 67 के तहत श्री हमीरसिंह के स्थान पर अपीलार्थिनी की माता श्रीमती समद कंवर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया तथा अपीलार्थिनी जो हमीरसिंह की जायन्दा पुत्री थी, का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:23 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थिनी की माता श्री समद कंवर का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात् आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 488 स्वीकृत किया गया, जिसमें अपीलार्थिनी का नाम दर्ज नहीं कर श्रीमती समद कंवर के अन्य द्वितीय वारिसान् का नाम दर्ज कर दिया, जो कि पूर्व से ही राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदारान् के रूप में इन्द्राज थे, जबकि अपीलार्थिनी श्रीमती समदकंवर की इकलौती प्रथम श्रेणी की वारिस होने तथा जायन्दा पुत्री होने के बावजूद भी अपीलार्थिनी का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा स्व0 श्रीमती समद कंवर के वारिसान् की कोई जांच भी नहीं की गई तथा अपीलार्थिनी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत् कोई सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान् की जांच किये वगैर पारित किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थिनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि उक्त विवादित भूमि के बाबत् एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में बअनवान खम्मा कंवर बनाम खुशालसिंह वगैरा प्रस्तुत किया, जो कि विचाराधीन है। उक्त दावे में वादी द्वारा अपीलार्थिनी के पिता श्री हमीरसिंह को लाऔलाद फौत बताया, जिसके बाबत् प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री हमीरसिंह व श्रीमती समदकंवर के वारिसान् में उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस एकमात्र पुत्री अपीलार्थिनी को बताया, इससे स्पष्ट है कि समद कंवर पत्नी स्व0 हमीरसिंह की एकमात्र वारिसान् अपीलार्थिनी है। अतः अपील अपीलार्थिनी स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 488 दिनांक 21.12.1988 ग्राम थबूकड़ा को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार श्रीमती समद कंवर पत्नी स्व0 हमीर सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान् की जाचं कर नये सिरे से नामान्तरकरण किये जाने हेतु मामला तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्ट पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थिनी समद कंवर पत्नी स्व0 श्री हमीरसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है अगर न्यायालय अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलार्थिनी के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही का आदेश पारित करता है तो रेस्पोडेन्ट पक्ष को किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थिनी मृतक समद कंवर पत्नी स्व0 श्री हमीरसिंह की जायन्दा पुत्री है। हमीर सिंह के फौत हो जाने पर केवल उसकी पत्नी समद कंवर के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा समद कंवर के फौत होने के बाद अपीलाधीन नामान्तरकरण में भी अपीलार्थिनी का नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थिनी मृतक समद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:23 IST
Reason: SelfAttested

कंवर की जायन्दा पुत्री है। अपीलार्थिनी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक समद कंवर की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 488 दिनांक 21.12.1988 ग्राम थबूकड़ा जो नायब तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार जोधपुर को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक समद कंवर पत्नी स्व0 हमीर सिंह के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:23 IST
Reason: SelfAttested